प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 01 नवम्बर,2019

विषय- 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2019-20 के लिए संस्तुति बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8/2802/2019-8/74/2019-20 दिनांक 31.10.2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1 - 170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2019-20 के लिए बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त की धनराशि रू. 48297350000/- (रू. अड़तालीस अरब उनतीस करोड तिहत्तर लाख पचास हजार मात्र) को संलग्न फाण्ट के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जानें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रायोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2019-20 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-04- चौदहवें वित्त आयोग- 0401- सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1 -170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,प्रथम/ आडिट प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।
6- संबंधित बैंकों को।
7- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
10- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
11- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 32/2019/2742/33-3-2019-100(26)/2015 दिनांक 01.11.2019 का संलग्नक

14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में प्रदेश की ग्राम पंचायतों को बेसिक ग्रान्ट की द्वितीय किश्त का आवंटन हेतु जनपदवार फाण्ट

(धनराशि रूपये में)

क्र.सं.	जनपद	ग्राम पंचायतों हेतु अनुदान की धनराशि **(बेसिक ग्रान्ट द्वितीय किश्त वर्ष 2019-20)**
1	**2**	**3**
1	मेरठ	644300838
2	बागपत	491435344
3	गाजियाबाद	549112974
4	गौतमबुद्धनगर	380532442
5	बुलन्दशहर	797459627
6	सहारनपुर	766914735
7	मुजफ्फरनगर	691430999
8	आगरा	787389667
9	अलीगढ़	718164762
10	हाथरस	510624222
11	एटा	504449851
12	कासगंज	442528505
13	मैनपुरी	531564443
14	मथुरा	578926526
15	फिरोजाबाद	587035106
16	बरेली	802129037
17	बदायू	708551153
18	पीलीभीत	578446871
19	शाहजहापुर	684473413

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20	मुरादाबाद	583617472
21	अमरोहा	498093384
22	रामपुर	542778739
23	बिजनौर	874365069
24	लखनऊ	694372922
25	रायबरेली	726924834
26	अमेठी	579288999
27	हरदोई	990841364
28	उन्नाव	760828070
29	सीतापुर	1104302606
30	खीरी	1000261390
31	अयोध्या	654202144
32	अम्बेडकर नगर	623937429
33	सुल्तानपुर	665831034
34	बाराबंकी	831086031
35	गोण्डा	812551841
36	बलरामपुर	535421441
37	बहराइच	759664102
38	श्रावस्ती	342660828
39	प्रयागराज	1154857870
40	कौशाम्बी	507590150
41	फतेहपुर	679076886
42	प्रतापगढ़	783642295
43	वाराणसी	643836982
44	चन्दौली	529772405
45	गाजीपुर	849040807

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

46	जौनपुर	1050974169
47	मिर्जापुर	684771089
48	सोनभद्र	681558284
49	संतरविदासनगर (भदोही)	461900595
50	हमीरपुर	392541157
51	बांदा	506777153
52	चित्रकूट	427353305
53	महोबा	378929271
54	गोरखपुर	915217295
55	महाराजगंज	656440128
56	देवरिया	722375038
57	कुशीनगर	788796597
58	बस्ती	623593134
59	सन्त कबीर नगर	486135954
60	सिद्धार्थ नगर	614998120
61	आजमगढ़	1070410499
62	मऊ	530713130
63	बलिया	744025003
64	कानपुर नगर	511520571
65	कानपुर देहात	604122050
66	फर्रूखाबाद	504990528
67	कन्नौज	487075142
68	इटावा	483969768
69	औरैया	471287072
70	झांसी	506662069

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

71	ललितपुर	458962449
72	जालौन	456184602
73	शामली	436329867
74	संम्भल	555106412
75	हापुड़	599311940
	योग	**48297350000**

रू. 48297350000/- (रू. अड़तालीस अरब उनतीस करोड़ तिहत्तर लाख पचास हजार मात्र)

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।